Sixteenth Loksabha

an>

(2)

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Economic Survey 2016-17 (Volume 2) (Hindi and English versions).

[Placed in Library, See No. LT 7498/16/17]

(2) A copy of the Economic Survey 2016-17* (Re-translated version in Hindi only).

[Placed in Library, See No. LT 7499/16/17]

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2015-2016.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7500/16/17]

^{*}Economic Survey 2016-17 (Hindi and English versions) was laid on 31.01.2017

(2)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7501/16/17]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003:-
 - (i) The Prohibition of Smoking in Public Places (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.500(E) in Gazette of India dated 23rd May, 2017.
 - (ii) The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.292(E) in Gazette of India dated 24th March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7502/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय): अध्यक्ष महोदया, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं विशिष्ट संस्थाओं के लिए विनियामक ढांचों को समर्थ बनाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7503/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7504/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2015-2016.
 - (ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7505/16/17]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं -

(1) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7506/16/17]

(2) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7507/16/17]

(3) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7508/16/17]

2018

(4) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7509/16/17]

(5) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7510/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7511/16/17]

(2) A copy of the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.585(E) in Gazette of India dated 13th June, 2017 under sub-section

(3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005.

[Placed in Library, See No. LT 7512/16/17]

(3) A copy of the Notification No. F. No. 5/7/2014-EP (EP Agri-V)/Plant-D (Hindi and English versions) published in weekly Gazette of India dated 7th July, 2017, making certain amendments in Notification No. 5/7/2014-EP(Agri.V)/Plant-D dated 5th June, 2015 issued under Section 5 of the Spices Board Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 7513/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

- (1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-
- (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन विनियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पहला संशोधन विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7514/16/17]

(2) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा 4 के अंतर्गत अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकारी (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शार्तें) नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7515/16/17]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम(स्टाफ) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (4) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अधीन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओः एचआरडीः आईआरपीः 2017-18116 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7517/16/17]

- (5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ः-
 - (एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2017, जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2017, जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1927(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2017, जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7518/16/17]

- (6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक -एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-
- (एक) सा.का.नि. 389(अ) जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं. 41/1999-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 491(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9.3.2012 से 1.3.2017 की अवधि के दौरान प्रवृत्त सामान्य पद्धित के कारण नामित प्रयोगशालाओं के अधिकृत कार्यालयों/अभिकरणों द्वारा ऐसे कटे हुए और पालिश किए गए हीरे के पुनः आयात पर संदेह पूरी डयूटी नहीं लगाए जाने / प्रभारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा.का.नि. 736(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 738(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 9/2012-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 739(अ) जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 40/2015-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 833(अ) जो 5 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें अधिकृत प्रचालन के लिए प्रयुव्त विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाए जाने योग्य एकीकृत कर से छूट दिए जाने का उपबंध किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7519/16/17]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7520/16/17]

- (8) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7521/16/17]

- (9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-
- (एक) सा.का.नि. 603(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.6.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 604(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केन्द्रीय कर प्रधान आयुव्त, बेंगलुरू वेस्ट को गैर कराधान क्षेत्र में अवस्थित व्यव्ति द्वारा प्रदत्त अथवा सहमत तथा

- गैर कराधान आनलाइन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आनलाइन जानकारी और डाटाबेस अभिगम और पुनःप्राप्ति सेवा के मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की शब्ति प्रदान करना ह,् तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 662(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 697(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 698(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि 699(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 835(अ) जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुव्त विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा आईजीएसटी अधिनियम के अतर्गत सेवाओं के आयात पर एकीकृत कर लगाए जाने से छूट प्रदान किए जाने का उपबंध किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7522/16/17]

- (10) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।ः-
- (एक) सा.का.नि. 605(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.06.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 606(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय WWW.GST.GOV.IN वेबसाइट को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 607(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केवल कर योग्य आपूर्ति में नियोजित व्यव्ति जिसपर कुल कर विलोमतः प्रभार के आधार पर संदेय किए जाने की संभावना है, को छूट प्रदान करना है।
- (चार) सा.का.नि. 608(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन।

- (पांच) सा.का.नि. 609(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय कर अधिकारियों की को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 658(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (दूसरा संशोधन) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 663(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 659(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19.6.2017 की अधिसूचना सं. 6/2017- केद्रीय कर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 660(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 661(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 661(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न निदेशालयों के अधिकारियों को अधिकारिता और शब्ति समनुदिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (तीसरा संशोधन) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 848(अ) जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय एकीकृत कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए बंध्यपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत किए जाने के

लिए शर्त और सुरक्षा अधिसूचित करना है।

(सोलह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (चौथा संशोधन) जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 965(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7523/16/17]

(11) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 189 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वित्त (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2017 जो 29 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7524/16/17]

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Yes, Shri N.K. Premachandran Ji. He is only laying it. If you want to speak, then speak only one sentence.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, my point is this. The notification is improper, illegal and unconstitutional. It is because as per Section 184 of the Finance Act of 2017, I do agree that the Government is empowered to make rules. But, the rules never override the original provisions of the Act. That is number one point. Secondly, it is an encroachment into the legislative functions of the Parliament. Also, it is an encroachment into the judicial functions of the Parliament. The Finance Ministry has no authority to issue notification.

HON. SPEAKER: Now, Item No.11, Shri Hansraj Gangaram Ahir.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

- (1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1079(अ) जो 6 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (एनडीपीएस अधिनियम), भोपाल में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (2) का.आ. 1371(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसमें 2 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 339(अ) में शुद्धिपत्र दिया गया है।

(3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1575(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, शिमला में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।

- (4) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1576(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित वरिष्ठतम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, सिलीगुड़ी के न्यायालय में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (5) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1675(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात जिला और सत्र न्यायालय, देहरादून में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (6) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1788(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (7) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1787(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विश्वितम अपर सत्र न्यायाधीश, मोहाली में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (8) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1785(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, मुंबई में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (9) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1786(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात सिटी सिविल और अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।

- (10) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1864(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (11) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1879(अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात जिला न्यायाधीश- चार सह प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (12) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2033 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात 49 अपर सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरू सिटी में न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।
- (13) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2285 (अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विशेष न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले , जयपुर के विशेष न्यायालयमें न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।

(14) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2286 (अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात विरिष्ठ न्यायाधीश, के में न्यायाधीश केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, असम , गुवाहाटी के विशेष न्यायालयमें न्यायाधीश की नियुद्धि के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 7525/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

- (1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की की एक -एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) का.आ. 688(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सर्विशिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन/मानदेय के भुगतान के लिए इस योजना के संबंध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।
- (दो) का.आ. 689(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सर्विशिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को योजना की प्रसुविधाएं दिए जाने के संबंध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 2417(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 688(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ. 2418(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7526/16/17]

- (3) नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 जो 22 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ. 1206(अ) जो 18अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत असम राज्य को दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी गई है।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7527/16/17]

(5) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7528/16/17]

- (7) (एक) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7529/16/17]

- (9) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7530/16/17]

- (11) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7532/16/17]

- (15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन ऍथारिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन ऍथारिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7533/16/17]

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7534/16/17]

- (19) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7535/16/17]

- (21) (एक) सर्व शिक्षा अभियान- यूटी मिशन ऍथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान- यूटी मिशन ऍथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7536/16/17]

- (23) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7537/16/17]

(25) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. एडिमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. एडिमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7538/16/17]

(27) (एक) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2015-20156 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7539/16/17]

- (29) (एक) यूनियन टैरिटरी मिशन ऍथारिटी दादर और नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टैरिटरी मिशन ऍथारिटी दादर और नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7540/16/17]

- (31) (एक) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) (एक) उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7542/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7543/16/17]

- (3) (एक) आल इंडिया कोफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आल इंडिया कोफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7544/16/17]

- (4) (एक) मित्र ज्योति, बेंगलुरू के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मित्र ज्योति, बेंगलुरू के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर) के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7546/16/17]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): अध्यक्ष महोदया, मैं स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7547/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956:-

- The Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2017 published in Notification
 No. G.S.R.268(E) in Gazette of India dated 20th March, 2017.
 - (ii) The Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.664(E) in Gazette of India dated 28th June, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7548/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-
 - (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2017 का पहला परिनियम, जो 24 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 947 (अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर (संशोधन) परिनियम, 2017 का पहला परिनियम, जो 24 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 948 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7549/16/17]

- (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -
- (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय रोजगार परकता अभिवृद्धि मिशन) (एनईईएम) विनियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ.सं. 37-1/डी-एसडीसी/नीम/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की बड़ी/ प्रमुख शाखा और उनके संगत/उपयुक्त पाठयक्रम जिनके फलस्वरूप इंजीनियरी प्रौद्योगिकी की डिग्री मिलती है) 2017 शिक्षण पद के लिए भर्ती; जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ.सं. 27/आईएफडी/ वेतन/01/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7550/16/17]

- (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -
 - (एक) अधिसूचना संख्या सीयूजे/विनियम/04/2010 जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड के अध्यादेश संख्यांक ओए-2, ओए-5 और ओई-1 के बारे में है।
 - (दो) अधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/आरओ/2017/285 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, एनएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अध्यादेशों को तैयार किया गया है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या आर/2012/380 जो 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के परिनियम

सं.15(1) में संशोधन किया गया है।

- (चार) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा./329 जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।
- (पांच) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा./1241 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।
- (छह) अधिसूचना संख्या 3-3/सीयूएचपी/जीए/2010/खण्ड-2 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।
- (सात) अधिसूचना संख्या सीयूएच/2016/रेग./अधिसूचना/346 (ए) जो 22 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।
- (आठ) अधिसूचना संख्या सीयूजे/प्रशासन/अध्यादेश/2017/519 जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ जम्मू के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।
- (नौ) अधिसूचना संख्या 243 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ तिमलनाडु के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 7551/16/17]

- (4) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ फाऊंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ फाऊंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7553/16/17]

- (8) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7554/16/17]

- (10) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7555/16/17]

(12) (एक) नेशनल इंस्टयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7556/16/17]

- (14) (एक) नेशनल इंस्टयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7557/16/17]

- (16) (एक) नेशनल इंस्ट्रयूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टयूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7558/16/17]

- (18) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।ञ्
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7560/16/17]

- (22) (एक) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्टयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7561/16/17]

- (24) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7562/16/17]

(26) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7563/16/17]

- (28) (एक) इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ मैनेजमैंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7564/16/17]

- (30) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमैंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7565/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7566/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Aeronautics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7567/16/17]

(2) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7568/16/17]

(3) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the BEL-THALES Systems Limited for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7569/16/17]

(4) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the BEL Optronic Devices Limited for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7570/16/17]

(5) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7571/16/17]

(6) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and Vignyan Industries Limited for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7572/16/17]